कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक 1219 /33–1/दिनांक, हमीरपुर, दिसम्बर 01 ,2022.

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0
कानपुर।

विषयः–विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क विकास परियोजना के तहत हमीरपुर–राठ–गरौठा–गुरसराय–झांसी राज्य राजमार्ग–42 के राठ बाईपास (हमीरपुर जनपद) से गरौठा (झांसी जनपद) (मिसिंग लिंक–किमी 74.550 से किमी 110.360) तक के उच्चीकरण निर्माण कार्य हेतु जनपद हमीरपुर में प्रभावित 4.068 हे0 आरक्षित एवं 1.0684 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 5.1364 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 327 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/117342/2020.

सन्दर्भः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1863/11–सी–**FP/UP/Road/117342/2020/** दिनांक 30.11.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रस्ताव में आपत्ति करते हुये मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुये संशोधित प्रस्ताव मय अभिलेख उपलब्ध करायें जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि किसी कार्य दिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि को भेजकर नोडल कार्यालय से प्रस्ताव की समस्त प्रतियॉ प्राप्त करते हुये संशोधित प्रस्ताव मय अभिलेख ऑन लाइन सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

ई–मेल से

पृष्ठांकन संख्या............................/अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन उ0प्र0 झॉसी।
3. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त उ0प्र0 बॉदा।

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 1863/11—सी—FP/UP/Road/117342/2020, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 30 ,2022

सेवा में,

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
2. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।

विषयः— विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क विकास परियोजना के तहत हमीरपुर—राठ—गरौंठा—गुरसराय—झांसी राज्य राजमार्ग—42 के राठ बाईपास (हमीरपुर जनपद) से गरौंठा (झांसी जनपद) (मिसिंग) लिंक किमी0 74.550 से किमी0 110.360 तक के उच्चीकरण निर्माण कार्य हेतु जनपद—हमीरपुर में प्रभावित 4.068 हे0 आरक्षित एवं 1.0684 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 5.1364 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 327 वृक्षों/पौधों के पातन एवं जनपद—झांसी में प्रभावित 13.049 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2127 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल 18.1854 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2554 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्रांक—1365/11—सी—FP/UP/Road/117342/2020, दिनांक 14.10.2022 व पत्रांक—1331/11—सी—FP/UP/Road/117342/2020, दिनांक 12.10.2022, वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी का पत्रांक—1459/33—1, दिनांक 24.11.2022 एवं वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा का पत्रांक—1628/33—1, दिनांक 24.11.2022

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा इंगित की गयी कमियों का बिन्दुवार निराकरण आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्रों के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गयाः—

झांसी वन प्रभागः—

1. प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम—2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र पुनः संलग्न किया गया है, जिस पर पत्रांक, तिथि व जिलाधिकारी की मोहर नहीं है तथा प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल भी गलत अंकित है। अतः सही एवं संशोधित FRA प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें अथवा FRA प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न करें एवं ऑनलाइन भाग—1 एवं ऑनलाइन भाग—2 में पूर्व का त्रुटिपूर्ण FRA प्रमाण पत्र डिलिट कर यथास्थान पर उपरोक्तानुसार संशोधित अभिलेख अपलोड करें।
2. ऑनलाइन भाग—2 के क्रमांक—13(iv) में गैर वनभूमि पर CA का प्राक्कलन पुनः अपलोड नहीं किया गया है।
3. प्रस्ताव में संलग्न CA के गैर वनभूमि के Sol Toposheet पर शीर्षक गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Sol Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग—1 एवं ऑनलाइन भाग—2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
4. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

हमीरपुर वन प्रभागः—

1. प्रस्ताव में संलग्न CA के अवनत वनभूमि एवं गैर वनभूमि के Sol Toposheet पर शीर्षक गलत अंकित किया गया है। अतः सही शीर्षक अंकित कर संशोधित Sol Toposheet प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग—1 एवं ऑनलाइन भाग—2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
2. प्रस्ताव में गैर वनभूमि पर संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर दिया गया है, किन्तु ऑनलाइन भाग—2 के क्रमांक—13(iv) में अपलोड नहीं किया गया है।
3. ऑनलाइन भाग—2 के Patch wise details for Degraded Area के क्रमांक—13(i) & 13(ii) में अवनत वनभूमि पर वृक्षारोपण का Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet अपलोड नहीं किया गया है। अतः अवनत वनभूमि का Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet क्रमशः अपलोड करें तथा प्राक्कलन के अनुसार CA की सही धनराशि भी अपलोड करें।
4. ऑनलाइन भाग—2 के क्रमांक—15 में वन संरक्षक, बांदा के Site Inspection Report के स्थान पर संस्तुति पत्र अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट कर वन संरक्षक, बांदा का Site Inspection Report यथास्थान पर अपलोड करें।
5. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03—03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03—03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 1863/11—सी—FP/UP/Road/117342/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर एवं झांसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।